

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 16/सन-2022-23 (ऑनलाइन

विविध वाद सं०- 05/2023- 24)

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26.07.2024	—:आदेश:— यह विविध वाद अभिलेख सं०- 16/2022- 23 (ऑनलाइन विविध वाद सं०- 05/2023-24) आवेदक श्री लक्ष्मण महतो, पिता- दौलत महतो, साकिन- गिरिडीह, पो०- सिमरिया, थाना - धनवार, जिला- गिरिडीह के आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 03 -सह- प्रभारी अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : - 1. मौजा- गिरिडीह, थाना नं०- 70 गैरमजरूआ खास खाता सं०- 82/ 10, प्लॉट सं०- 05, रकवा- 29 डी० किस्म जमीन परती कदीम खर्वे खतियान में दर्ज है। 2. उक्त भूमि पर आवेदक प्रथम पक्ष लक्ष्मण महतो पिता स्व० दौलत महतो, साकिन- गिरिडीह के नाम रिजस्ट्री केवाला सं०- 3547 दिनांक- 26.06.87 के अनुसार भूमि प्राप्त है। लगान रसीद 507/1 के अनुसार लक्ष्मण महतो के नाम निर्गत है। जमीन के अंश के भाग पर मोबाइल टॉवर लगा हुआ है। 3. विपक्षी - बासुदेव राय, पिता स्व० सुकर राय, ग्राम गिरिडीह द्वारा आपत्ति एवं विवाद किया जा रहा है। 4. विपक्षी के के द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। 5. मामला गैरमजरूआ भूमि से संबंधित है, अतः उभय पक्ष को मूल कागजात की माँग करते हुए अग्रेंतर कार्रवाई की जा सकती है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। उभय पक्षों ने अपना - अपना पक्ष रखा है तथा कागजात पेश किया है। कागजातों को अवलोकन किया। उपलब्ध राजस्व अभिलेख, जाँच प्रतिवेदन तथा वादीगणों के द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला स्वत्व से संबंधित है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्णय किया जाना उचित नहीं है। वादीगणों को सलाह दी जाती है कि सक्षम प्राधिकार में आवेदन दें। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  अंचल अधिकारी, धनवार।	